इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४६२]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2022-भाद्र 2, शक 1944

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्र. एफ-22-23-2022-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उपधारा (4) तथा धारा 64 के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, विरचित मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रिजस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा (ट), द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी तथा मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के सिचव/प्रमुख सिचव/अतिरिक्त मुख्य सिचव को अपील प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है.

2. यह अधिसूचना ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होगी.

No. F-22-23-2022-VIII.—In exercise of the powers conferred by clause (b) and (1) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, which were framed in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 59 and clause (p) of Section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, nominates the Commissioner, Transport of Madhya Pradesh as Registering Authority and Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary of Government of Madhya Pradesh, Transport Department as the Appellate Authority.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **श्वेता पवार**, उपसचिव.